

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **ढेरे मारुवा**

पीठासीन अधिकारी :- **मनीषा लेखा R.A.S.**

उनवान

बनाम

भनेही

बो दुडेकी

दावा बाबत

विभाजन

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से **भनेही** की व प्रतिवादी की ओर से **बो दुडेकी** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **24/5/18** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **मनीषा लेखा** उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **वादनी का वाद पराजित राजीनामा व विभाजन**

उत्तराव इत प्रारु द्रष्टि डिडी किया जाता है कि वादगत रेवत रोहि चाड़वास के ख. ल. 618 नाडाडी 25 बीया 14 किश्क है पिछले उताविक हिल्ला कदिनी भनेही देनी पत्नी जोपीराम जाट निवाली चाड़वास तहसी बीदासर के हिल्ला पांती 200 ल. 618 भीत नाडाडी 3.2501 हेक्टेर 2वीं पाली की व प्रतिवादिनी खं. 1 बो दुडेकी पत्नी किरानाताम जाट जाट निवासीनी चाड़वास तहसी बीदासर पिला इत के हिल्ला पांती 200 ल. 618 भीत नाडाडी 3.2501 हेक्टेर पर 2-ची पांती डि

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **24/5/18** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



Manish
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर.

*

वादी	वाद के खर्चे		प्रतिवादी
	रुपया	रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	